



**भूलेख - खतौनी**  
**राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश**

Hindi

← Back

## उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

12/June/2025 06:28:47 PM

जनपद : आगरा

तहसील : आगरा

ग्राम : ककुआ

ग्राम कोड : 124621

फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023)

खाता संख्या : 00308

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण	खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण	भूमि का विवरण	खातेदार का अंश		
<b>खसरा/ गाटा संख्या</b> (2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	<b>(3)</b> न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	<b>(4)</b> वर्ष (5) गाटा (यूनीक कोड)	<b>(6)</b> गाटे का कुल क्षेत्रफल(हेक्टर) (7) हिस्से में क्षेत्रफल(हेक्टर)	<b>(8)</b> क्षेत्रफल में(हेक्टर)	<b>(9)</b> खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा)) के बाद ग्रस्त / विक्रय / भू-नक्शा / नामांतरण बही ) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

648 1) बीघाराम / जगना / नि.  
ग्राम

1404 फ 648  
**(1246210648000012)**

0.6470

12.40

2) ललितादेवी पत्नी / भोलाराम  
/ नि 0 15/230 नूरी दरवाजा

कुल गाटे :

कुल क्षेत्रफल : (हेक्टेयर)

कुल भू-राजस्व : रुपये

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया	दर्ज किया गया				
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या / अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल(हेंट)	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल(हेंट)
1) अन्य / T202401010104043 / 29-08-2024 / विक्रय / ASHOK KUMAR () / 27-10-2024	1.1) बीघाराम/जगना/नि. ग्राम ( :- )	648 (1246210648000012)	1.1) - 2.1) - 3.1) -	1.1) श्रीमती सोना / पदम सिंह / ग्राम भडभूजापुरा खेरिया तह० खेरागढ जिला	648 (1246210648000012)	1.1) - 2.1) - 3.1) -
2) राजस्व न्यायालय (तहसीलदार) / T202401010103383 / 27-01-2025 / विक्रय /	3.1) श्रीमती सोना/पदम सिंह/ग्राम भडभूजापुरा खेरिया तह० खेरागढ जिला आगरा ( :- )		4.1) - 5.1) -	आगरा 2.1) नेत्र पाल सिंह /		4.1) - 5.1) -

मेहताब सिंह  
/ 476  
कक्षुआ  
आगरा

3.1) आगरा

विकास  
प्राधिकरण  
आगरा / - / -

4.1) आगरा

विकास  
प्राधिकरण  
आगरा / - / -

5.1) आगरा

विकास  
प्राधिकरण  
आगरा / - / -

ASHOK KUMAR () / 05-

02-2025

3) अन्य /

T202501010102316 /

08-03-2025 / विक्रय /

ASHOK KUMAR () / 01- ग्राम ( : - )

04-2025

4) अन्य /

T202501010102310 /

08-03-2025 / विक्रय /

ASHOK KUMAR () / 02-

04-2025

5) अन्य /

T202501010101798 /

27-02-2025 / विक्रय /

ASHOK KUMAR () / 03-

04-2025

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

1) Aryavart Bank/22094/22-02-2024/175000.00/146007662024014122094/बीघाराम(जगना)

**(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :**

**अभ्युक्ति :**

- 1) 1431फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त बैंक शाखा कक्षुआ आगरा के आदेश दि० 10-04-24 के अनुसार बीधाराम पुत्र जगना का खाता भार मुक्त किया जाता है ह०आर०के० 5674 (**डिजिटल हस्ताक्षर** : ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR) / 15-04-2024)
- 2) 1425फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त शाखा कक्षुआ आगरा के आदेश दि० 23-01-18 के अनुसार बीधाराम पुत्र जगना का खाता 145000/- में बन्धक किया जाता है ह०आर०के० 28-02-18/2405 (**डिजिटल हस्ताक्षर** : MAN PAL SINGH (REVENUE INSPECTOR) / 18-11-2019)

**पूर्व आदेशों का विवरण :**

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही ) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त ऑँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

**Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.**



न्यायालय :- तहसीलदार

मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010101798

वाद संख्या:- 1798/2025

आगरा विकास प्राधिकरण बनाम बीधाराम

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अन्तर्गत धारा:- 34

अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 27/02/2025

वाद सं0 ज202501010101798/2025 अन्तर्गत धारा 34 आरोसी0

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम बीधाराम

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आरोसी0 प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 648 रकवा 0.6470हे0 मे से रकवा 0.287920हे0 का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने बीधाराम से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, शपथपत्र एवं लेखपाल/रानीकार्यालय की आख्या सहित नकल खतौनी दाखिल हुई है। विक्रेता ने गाटा संख्या 648 रकवा 0.6470हे0 मे से रकवा 0.287920हे0 का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है।

अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं0 00308 के गाटा संख्या 648 रकवा 0.6470हे0 मे से रकवा 0.287920हे0 लगान 60ख अनुसार से विक्रेता बीधाराम पुत्र जगना उर्फ जगन सिंह निवासी ग्राम ककुआ तह0 व जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं0भू



द्वारा बैनामा प्रतिफल 4318800/-रु0 आवेदन संख्या-202400766080128 दिनांक 20.12.2024 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

**Disclaimer :**

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार

मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010102310

वाद संख्या:- 2310/2025

आगरा विकास प्राधिकरण बनाम ललिता देवी

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अन्तर्गत धारा:- 34

अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 08/03/2025

वाद सं0 ज202501010102310/2025 अन्तर्गत धारा 34 आरोसी0

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम ललिता देवी

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आरोसी0 प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उपरोक्त राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 648 रकवा 0.6470हें0 में से 1/2 भाग यानि रकवा 0.3235हें0 का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने ललिता देवी से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, शपथपत्र एवं लेखपाल/राजनीकार्यालय की आख्या सहित नकल खतौनी दाखिल हुई है। विक्रेता ने गाटा संख्या 648 रकवा 0.6470हें0 में से 1/2 भाग यानि रकवा 0.3235हें0 का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं0 00308 के गाटा संख्या 648 रकवा 0.6470हें0 में से 1/2 भाग यानि रकवा 0.3235हें0 लगान 60ख अनुसार से विक्रेता ललिता देवी पत्नी भोलाराम निवासी ग्राम ककुआ व तह0 जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर



सं0भू0 द्वारा बैनामा प्रतिफल 19417600/-रु0 आवेदन संख्या-202400766005237 दिनांक 25.01.2025 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

**Disclaimer:**

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार

मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010102316

वाद संख्या:- 2316/2025

**आगरा विकास प्राधिकरण बनाम सोना**

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34

अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 08/03/2025

वाद सं0 ज202501010102316/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर0सी0

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम सोना

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आर0सी0 प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 648 रकवा 0.6470हे0 में से रकवा 0.012541हे0 का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने सोना से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, शपथपत्र एवं लेखपाल/राजनीकार्यालय की आख्या सहित नकल खतौनी दाखिल हुई है। विक्रेता ने गाटा संख्या 648 रकवा 0.6470हे0 में से रकवा 0.012541हे0 का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है।  
अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं0 00308 के गाटा संख्या 648 रकवा 0.6470हे0 में से रकवा 0.012541हे0 लगान 60ख अनुसार से विक्रेता सोना पली पदम सिंह निवासी ग्राम ककुआ व तह0 जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा



प्रतिफल 752460/-रु० आवेदन संख्या-202500766005264 दिनांक 25.01.2025 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

**Disclaimer :**

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"